न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झनुं (राज0)

किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.09.2019	24.06.2020

उनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

–: निर्णय :–

पटवारी हल्का माकडो द्वारा एक रिर्पोट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बनवास के ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान भूमि मे से 125 वर्गमीटर भूमि पर ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0) द्वारा टिन सैट छत पक्का व दीवार बनाकर अतिकमण कर रखा है।

रिर्पोट प्रस्तुत होने पर अतिकमी के विरूध राज0 भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिकमी को नोटिस जारी किया गया।

गैरसाल (अतिकमी) को नोटिस जारी होने के उपरान्त गैरसाल की और से न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जबाब नोटिस प्रस्तुत किया तथा अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत के बतोर राजस्व रिकार्ड एंव समय –समय पर प्रशनगत भूमि से संबंधित मौका रिर्पोट एंव सिमाज्ञान के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

गैरसाल द्वारा प्रस्तुतु अपने जबाब नोटिस में कथन किया है कि पटवारी हल्का माकडो द्वारा अतिकमण से संबधित रिर्पोट पेश की गई है। वह सम्पति वक्फ बोर्ड की होने के कारण उसमें वाद का क्षैत्रधिकार वक्फ बोर्ड अधिकरण एंव उससे संबंधित न्यायालय ही कार्यवाही करने में सक्षम है। राजस्व विभाग को वक्फ बोर्ड की सम्पति के लिये क्षैत्र अधिकार नही है। इस के अलावा जबाब दाता की और से दिनांक 11.05.2012 को तत्कालिन पटवारी हल्का एंव भु0अभिलेख निरीक्षक द्वारा ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान का सिमाज्ञान झुन्झुनु जिले के वक्फ बार्ड कमेटि के अधयक्ष एंव सचिव की मोजुदगी में सीमाज्ञान करवाया गया। तथा मुताबिक सीमाज्ञान भूमि का कब्जा सम्भलाया गया था। तत्पश्चात प्रशनगत भूमि गै0मु0 कब्रिस्तान की चार दीवारी के लिये तत्कालिन विधायक कोटे से ग्राम पंचायत माकडो के माध्यम से चार दीवारी निमार्ण करवाया गया। इसी संबंध जवाबदाता ने यह भी कथन किया है कि चार दीवारी निमार्ण के वक्त वक्फ बोर्ड के तत्कालिन पदाधिकारीयों एंव सुशीला देवी के मध्य आपसी सहमति से भूमि का आदान प्रदान हुआ जिसकी जानकारी राजस्व कर्मचारीयों, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारीयों एंव मुस्लिम समाज सिंघाना व जबावदाता को है। ग्राम पंचायात माकडो द्वारा दिनांक 30.04.2014 को ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि पर चार दीवारी लगा कर मुस्लिम समाज व तत्कालिन वक्फ बोर्ड जिला झुन्झुनु की कमेटि को सुपुर्दगी कर दी थी। तथा उसी स्थिती में कब्रिस्तान की भूमि अवस्थित है।

प्रश्नगत भूमि के अतिकमण के बचाव पक्ष के रूप में जबावदाता की और से यह भी अवगत कराया गया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बुहाना के आदेश की अनुपालना में ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान के अव्रिकमण की मौका जांच हेतु पटवारीयान एंव भू0अ0निरीक्षक की टीम गठत की गई थी। जिसके द्वारा दिनांक 24, 07.2019 को मौका रिर्पोट तैयार की गई जिसमें ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान की भुमि पर छः अतिकमीयों द्वारा अतिकमण करना नाम जद किया गया। गैरसायल की और से अपने जबाब के साथ प्रश्गत भूमि के

उप तहसील सिंघाना, जिला झु...

Scanned with CamScanner

रिपोट दिनांक 26.02.2020 का दस्तावेज पेश किया। उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का माकडो ... सिंघाना द्वारा मय मौका नजरी नक्सा पेश की गई उक्त रिर्पोट में ख0नं0 271/158 रकबा ... कब्रिस्तान की भूमि के साथ उत्तर दिशा में जबाबदाता की पत्नि सुशीला देवी की खातेदारी भूमि ... 156 रकबा 0.21 है0 स्थित है। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है। कि कब्रिस्तान की भूमि पर चार ... दौरान ख0न0 519/156 रकबा 0.21 है0 में अतिक्रमण कर चार दीवारी में निमार्ण किया गया है। तथा ... पर ख0न0519/156 रकबा 0.21 है0 में चार दीवारी व सव दफनाने के रूप में अतिक्रमण पाया गया है। जबाबदाता का कथन है कि उनकी पत्नि की खातेदारी भूमि मे 920 वर्ग मीटर भूमि पर वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार इस मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित होता है कि दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जबाबदाता द्वारा प्रस्तुत प्रलेखिय साक्ष्य सबूतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत मौका जांच रिर्पोटों के बिन्दूओं पर गौर किया गया। सभी प्रलेखिय एंव मौका रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि प्रश्नगत भूमि ख0न0 271/158 रकबा 0.80 है गै0मु0 कब्रिस्तान पर गैरसायल का अतिक्रमण होना तथा जबाबदाता की पत्नि सुशीला देवी की खातेदारी भूमि ख0नं0 519/156 रकबा 0.21 है0 पर कब्रिस्तान के रूप मे अतिक्रमण होना साबित होता है।प्रकरण मे दोनो पक्षों के द्वारा एक दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है.ऐसी स्थिती मे विवादित स्थल पर ओर अधिक पेचिदगीयां न बढें इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए यह न्यायालय गैरसायल के विरूध राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही ड्रॉप किया जाना उचित समझता है।

लिहाजा गैरसायल ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0 के विरूध राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही ड्रॉप की जाति है। तथा उस आदेश के विरूध यदि वक्फ बोर्ड या उसके पदाधिकारीयों को कोई आप्पति होतो वह वक्फ बोर्ड से संबधित वक्फ बोर्ड_अधिकारण या वक्फ बोर्ड का सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफर हो इसी न्यायलय की पत्रावली संख्या राजस्थान सरकार 64/19 सत्यानारायण पुत्र जगदीश जाति नाई निवासी बनवास 66/19 राजस्थान सरकार बनाम भैरूराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी बनवास 67/19 राजस्थान सरकार बनाम जीवनराम पुत्र किशन लाल जाति माली निवासी बनवास व पत्रावली सं0 68/19 राजेश कुमार पुत्र बिहारी लाल जाति कुम्हार निवासी बनवास मे भी प्रकरण समान प्रवृति का होने के कारण यही निर्णय लागु होगा ।

आज दिनांक 24.06.2020को खुले न्यायालय मे सूनाया गया।

उप तहसीलदार सिंघाना
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

Scanned with CamScanner